

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: २५६/जि०यो०-प्र०वि०स्वी०/२०२४-२५ दिनांक: ०९ अगस्त, २०२४

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र 501/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/२०१६-१७ दिनांक ०८ अप्रैल, २०२४ के क्रम में जनपद का परिषद निर्धारित अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जा रहे हैं। प्रथम किस्त में अनुदान संख्या - ०७ सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या - ३० एस०सी०पी० हेतु 1712.00 रु० तथा अनुदान संख्या - ३१ टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहस्ताक्षरी व पर रखा गया है।

जिला योजना वर्ष 2024-25 हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग का अनुमोदित परिषद 15.00 लाख सापेक्ष जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रथम किस्त हेतु 15.00 लाख रु० की वित्तीय एवं प्र स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 2024-25 में अनुमोदित परिषद	प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि की मांग			
			सामान्य	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	रा०हो०चि० कालिका का मरम्मत कार्य एवं योगा हॉल, चहारदीवारी, प्रसाधन का निर्माण कार्य	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बेरीनाग के परिसर का सुधारीकरण	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	योग-	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024-25 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/२००८ दिनांक 24.03.20 सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/२०१६-१७ दिनांक ०८ अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रु० 15.00 (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैन्युअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषयक समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का वित्त शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवृद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आंगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैन्युअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०ए०४ पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवर्तित परिषद के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।